


मोदी की नीतियों से देश सुरक्षित

► आर्थिक सुधार से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था : शाह
► 2025-26 में 7.7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ पर गौरवावित



भारत को वैश्विक आर्थिक संकटों के बावजूद मजबूती प्रदान की है, अमित शाह ने कहा कि चाहे महामारी हो या युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियाँ, मोदी जी की नीतियों देश को हर संकट से सुरक्षित पार

विकास और जनता के कल्याण के मुद्दों पर सहयोग करें : डीके

► कर्नाटक सीएम ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

बेंगलूरु, 06 जून. कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का संकेत दिया, जब उनसे पीएम मोदी के तंज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सुलह होनी चाहिए, राजनीति नहीं।

शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा। हमें राजनीति नहीं करना चाहिए, आइए विकास और जनता के कल्याण के मुद्दों पर सहयोग करें। उन्होंने साफ किया कि केंद्र

और राज्य मिलकर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद परिवर्तन पर कांग्रेस पर तीखा तंज कसा था, उन्होंने कहा कि खुद से पैदा हुई अराजकता में अवसर तलाशने वाली बिखरती कांग्रेस की राजनीति काम नहीं करेगी, कर्नाटक में जनता के गहरे आक्रोश के कारण कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इसके बावजूद पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार को शपथ ग्रहण के अवसर पर बधाई दी और सहयोग का भरोसा भी दिया। तीन साल के राजनीतिक संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री पद मिलने के बावजूद डीके शिवकुमार को कुछ आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

जमीन विवाद में भाई ने की एनआरआई की हत्या

अमृतसर. अमृतसर में ऑस्ट्रेलियाई एनआरआई सुनील शर्मा की हत्या का रहस्य सुलझ गया। पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या उनके ही भाई सतीश शर्मा ने संपत्ति हड़पने के लिए की। सुनील को 5-6 करोड़ रुपये की संपत्ति का झांसा देकर अमृतसर बुलाया गया और नौद की गोलियों से बेहोश करके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बाद में खून से सना बिस्तर और अन्य सबूत छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने सतीश शर्मा, उनके बेटे सनी शर्मा और प्रांप्ती डीलर लखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने एनआरआई सुनील शर्मा के लापता होने और हत्या का मामला सुलझाया।

जीएसटी अफसर की ससुराल से हीरा-सोना ले गए चोर

वाराणसी. वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में जीएसटी अधिकारी शैलेंद्र सिंह के ससुर कुमार विनोद के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने लगभग तीन घंटे तक एसी चलाकर घर को खंगाला और षड् करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए।

चोरी की यह घटना तब हुई जब परिवार बिहार में अपने चाचा की तेरहवीं में गया था। चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए घर में लगे सीसी कैमरों का डीवीआर भी ले गए। चोरी का शिकार हुए घातकों में परिवार के पुश्तैनी गहने, धार्मिक

बंगाल में टीएमसी नेता के ठिकानों पर छापा

► संदेशखाली में तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद

कोलकाता, 06 जून. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शनिवार सुबह पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने टीएमसी के एक नेता के तालाब में छिपाकर रखे गए हथियारों और कारतूसों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया।

एसटीएफ के जांचकर्ताओं ने शनिवार सुबह उस इलाके में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को तालाब से हथियारों का एक जखीरा मिला। हालांकि, तालाब के

नवाचार को प्रोत्साहित करने पर जताई प्रसन्नता

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत को दर्शाती है, पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि देश में सभी क्षेत्रों में रोजगार और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह भारत की आर्थिक गति विश्व स्तर पर लगातार मजबूत बनी हुई है।

ले रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ दर और सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए भारत की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि

आज का इतिहास

1539- चौसा की लड़ाई में अकबरानु शाहशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूँ को पराजित किया।

1631 - मुगल बादशाह शाहजहां की बीबी मुमताज बेगम का 39 वर्ष में निधन।

1914 - प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म।

1974 - भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म।

1989- भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण।

1995 - नार्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे अधिक समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने।

पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने कितनी मजबूती हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई।

स्वास्थ्य को राजनीति तक सीमित न करें : नड्डा

► खरगे की टिप्पणी पर नड्डा का पलटवार

► नड्डा ने एनएफएचएस डेटा का हवाला दिया

नई दिल्ली 06 जून. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लक्स पर कहा कि तथ्यों की अनदेखी कर चुनिंदा आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रहित तथ्यों पर आधारित होना है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर 'अधूरी जानकारी' खतरनाक साबित हो

बम्बई उच्च न्यायालय के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञापन में दी गयी। राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन अतिरिक्त न्यायाधीशों को इसी न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इन न्यायाधीशों में सुश्री निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमारे खुबलकर, अश्विन दामोदर भुवने, श्री रोहित वासुदेव जोशी, अद्वैत महेंद्र सेथना और प्रवीण शेषराव पाटिल शामिल हैं।



उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि करोड़ों महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित होने और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का प्रमाण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की स्वास्थ्य यात्रा की वास्तविक कहानी निराशा नहीं, बल्कि निरंतर प्रगति और सुधार की कहानी है।

देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए, उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) की तुलना में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, गर्भावस्था की पहली तिमाही में प्रसवपूर्व पंजीकरण का प्रतिशत 43.9 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गया है।

लालू परिवार ने लौटाई सुरक्षा

पटना, 06 जून. आरजेडी सुप्रिमी और पूर्व मुख्यमंत्री राजू देवी की तबीयत शनिवार को गंभीर बर्ताई जा रही है। उनके बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव दोपहर को राजू देवी की जेड प्लस सुरक्षा का खत्म कर उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा दी गई थी। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी कम कर उन्हें केवल एक बाँधीगाई प्रदान किया। तेज प्रताप ने कहा कि सुरक्षा वापसी का मामला उनकी मां से जुड़ा नहीं है और राजू देवी ने कोई सुरक्षा कम नहीं की है।

राजू देवी की तबीयत खराब, मिलने पहुंचे तेजप्रताप

आरजेडी सुप्रिमी राजू देवी के स्वास्थ्य पर चिंता

तेज प्रताप यादव दोपहर को राजू देवी की जेड प्लस सुरक्षा का खत्म कर उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा दी गई थी। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी कम कर उन्हें केवल एक बाँधीगाई प्रदान किया। तेज प्रताप ने कहा कि सुरक्षा वापसी का मामला उनकी मां से जुड़ा नहीं है और राजू देवी ने कोई सुरक्षा कम नहीं की है।

किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं

वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है : सीएम योगी

गोण्डा, 6 जून. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले गोंडा जिले को लंबे समय तक परिवारवाद, भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसका उचित सम्मान नहीं मिल सका।

योगी ने जिले में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की कर्नलगंज और कटरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 516 करोड़ रुपये की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर स्थित मां पाटेश्री देवीवाहन मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद गोण्डा जिले के चकरीत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों और निवेश आधारित रोजगार के अवसरों में जिले के युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या पंथ के भेदभाव के पात्र लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और विकास योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कहा कि गोण्डा एक ऊर्जावान जनपद है, जहां के किसान, वैद्यों और महिलाएं आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हैं।

ईरान के साथ समझौता अभी तक नहीं हुआ : ट्रंप

वॉशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि ईरानी नेतृत्व 'मजबूत' और 'स्वाभिमान' है, लेकिन अंततः उसके पास समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। श्री ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिये

एक साक्षात्कार में कहा कि 'मजबूत' है, वे गर्व से भरे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। श्री ट्रंप को यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ता चौथे महीने में प्रवेश कर चुकी है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ साममेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792) रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेपेट्ट, चेन्नई-600031 फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	49882063	संपत्ति के बदले ऋण	13.04.2026	2,90,016.18/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. बाबूलाल यादव 2. लीलाबाई

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश के शाजपुर जिले के अगर तहसील और जिले में स्थित अगर जिले के नान्यखेड़ी अहीर स्थित ग्राम पंचायत नान्यखेड़ी अहीर के सर्वे नंबर 584, बार्ड नंबर 01, पी.एच. नंबर 43, निर्मित मकान संख्या 07 वाली संपत्ति का वह नाम, जिसका कुल क्षेत्रफल 1775 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में मनोहर यादव का मकान, उत्तर में श्री चंपालाल चौहान का घर, दक्षिण में सार्वजनिक सड़क।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	118486145	संपत्ति के बदले ऋण	14.05.2026	8,33,234.16/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. संतोष मंडलौई 2. दुर्गा मंडलौई

संपत्ति का पता: वह संपत्ति भूमि जिसका क्षेत्रफल 53.15 वर्ग मीटर है और वर्तमान में निर्मित भूतल का क्षेत्रफल भी 53.15 वर्ग मीटर है, जो पी.एच. नं. 25 पर स्थित है (संपदा पोर्टल के पी.एच. नं. 2 के अनुसार), ग्राम: सेगांव, तहसील: सेगांव, जिला: खरगोन, मध्य प्रदेश-451442, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में श्री गुरु कानका का घर, पश्चिम में श्री मोर का घर, उत्तर में श्री चंपालाल चौहान का घर, दक्षिण में सार्वजनिक सड़क।

आफू को उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ साममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ऋण दर तथा अन्य लागत, प्रचार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ साममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि बसूलने के लिए उभार उल्लिखित अनुबंध संपत्तियों के विरुद्ध एफएआर/एफआईसीआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए कानून पढ़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ साममेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)। इसके अलावा, आफू को उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विधि/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

एसडी/ प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 07.06.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड) स्थान : मध्यप्रदेश के साथ साममेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।

कार्यालय नगर परिषद धामनोद जिला धार (म.प्र.)

वार्ड क्र. 05 संजय नगर महेश्वर रोड, नव विभाग के पिछे, धामनोद, 454552 Phone : 07291222035 / Email : cmodhamnod@mpurban.gov.in

क्रमांक / 1439/2026 धामनोद, दिनांक 05/06/26

--- सार्वजनिक सूचना ---
एतद्वारा नगर पालिका परिषद धामनोद, क्षेत्र के सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत वेस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो दिनांक 01 अगस्त 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं, और निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत नवीन वेस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिये गए हैं। उक्त नियम के नियम क. 3 (इ/1) 6 एवं 10 में थोक कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generator (BWG) की श्रेणी के लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार थोक कचरा उत्पादक की परिभाषा इस प्रकार है:- भारी मात्रा के अपशिष्ट जतित वेस इकाइयां जो निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करते हो:-
(i) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल (Floor Area) वाले भवन या
(ii) प्रतिदिन 100,000 लीटर पानी की खपत या
(iii) प्रतिदिन 400 किलोग्राम वेस अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है उक्तानुसार निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन, होटल/रेस्टोरेन्ट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते हैं तो वे वेस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम- 2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जावेंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादकों को वेस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम- 2026 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

थोक कचरा उत्पादक हेतु दिशा निर्देश -
1. सभी थोक कचरा उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार केंद्रीकृत पोर्टल (Centralised Portal) पर पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।
2. संस्थान में उत्पन्न गीले, सूखे एवं चरेलु खतरनाक अपशिष्ट को पृथक्कीकृत कर एकत्र करना।
3. एकत्र गीले कचरे का संस्थान में ही निष्पादन करना।
4. पिट कम्पोस्टिंग, बायोगैस या ओ. डब्ल्यू.सी. मशीन या अन्य माध्यमों से कचरे का निष्पादन करना।
5. प्रतिदिन उत्पन्न कचरे के नियमानुसार प्रबंधन हेतु केयर टेकर को नियुक्त करना।
6. निष्पादित गीले कचरे से उत्पन्न खाद का उपयोग करना।
7. संस्थान से निलकने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के अधिकारिक कचरा संग्रहक को सौंपना।
8. प्रतिदिन प्रसंस्कृत किये गये गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद को लॉग बुक का संधारण करना।
9. यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे के प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्थान से गीले कचरे के प्रसंस्करण हेतु अनुबंध निष्पादन कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जितन उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificate) प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
10. वेस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क. 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि उल्लेखित संस्थान आदि उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रुपये 500/- प्रतिदिन के मान से अर्धदण्ड आरोपित किया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद धामनोद (धार)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर म.प्र.

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर में संचालित महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हेतु अनुबंधित वाहनों में पेट्रोल / डीजल की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था / फर्म / कंपनी आदि निविदा प्रारूप नियम एवं शर्तें राशि रुपये 500 /- नगद जमा कर स्थायीय लेखाकक्ष से दिनांक 22/06/2026 तक कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 23/06/2026 रहेगी। महाविद्यालय सभाकक्ष में निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 25 / 06 / 2026 को दोपहर 03:00 बजे निविदाएं खोली जाएगी।

प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बुरहानपुर म.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालय : 12/12, जीवन प्रदीप भवन, अनूप नगर, इन्दौर-452001 (म.प्र.)
पश्चिम IV-ए नियम 8(6) एवं 9(1) देखें।
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आरितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना
आम लोगों को और विशेष रूप से ऋणीओं, जमानतदारों एवं बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है। जिनका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक/सांकेतिक आधिपत्य ले लिया गया है, उन्हें "बहाल है जैसा है" और "कुछ भी है" के आधार पर 24.06.2026, बुधवार को दोप. 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ई-नीलामी की जाना है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	वसूली की जाने वाली राशि (खर्चों को छोड़कर)	आरक्षित मूल्य (ईएमडी बोली बद्धि राशि)	
1	आवेदक: 1. श्री जाह्द हुसैन मंसूरी (खाता 326506800000052) 2. श्री रजा मंसूरी (खाता 326506170000093), सह-आवेदक: 1. श्रीमती शहानाज. बी मंसूरी (खाता 326506800000052) सभी का पता: मकान नं. 15 के दक्षिणी भाग पर म्यू. नं. 15 चंद्र भोलेशना मंदिर से नाहरपुरा मस्जिद के बीच शहर सराय, रतलाम, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 849.25 वर्गफुट, संपत्ति मालिक: श्री जाह्द हुसैन मंसूरी, संपत्ति की वर्तुसीमा :- उत्तर: मोहम्मद सलीम के उक्त मकान का अंश भा, दक्षिण: समसुद्दीन का मकान, पूर्व: गली, पश्चिम: निकास एवं रोड (सांकेतिक कब्जा)	मकान नं. 15 के दक्षिणी भाग पर मंसू. नं. 15 चंद्र भोलेशना मंदिर से नाहरपुरा मस्जिद के बीच शहर सराय, रतलाम, मध्य प्रदेश स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल 849.25 वर्गफुट, संपत्ति मालिक: श्री जाह्द हुसैन मंसूरी, संपत्ति की वर्तुसीमा :- उत्तर: मोहम्मद सलीम के उक्त मकान का अंश भा, दक्षिण: समसुद्दीन का मकान, पूर्व: गली, पश्चिम: निकास एवं रोड (सांकेतिक कब्जा)	Rs. 18,31,024.79 as on 16.12.2025	Rs. 90,95,000/- Rs. 9,09,500/- Rs. 90,950/-	
2	लवीना खूबचंदानी पति विजय खूबचंदानी (ऋणी) आरुण ओझा पिता अनसुय ओझा (सह-आवेदक) शाखा- छावनी मेन इंदौर	शाखा बवन की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 103, प्लॉट नंबर 101, सिद्धिपुरम कॉलोनी पर स्थित, ग्राम तेजपुर गवर्नरी, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.), सुपर बिल्डअप एरिया 550 वर्ग फीट, वर्तुसीमाएँ:- पूर्व - प्लॉट नंबर 102, पश्चिम - सामान्य मार्ग एवं सीडी, उत्तर - प्लॉट नंबर 101, दक्षिण - फ्लैट नंबर 102 (सांकेतिक आधिपत्य)	Rs. 11,04,458.57 as on 21-07-2025	Rs. 9,95,000/- Rs. 99,500/- Rs. 9,950/-	
3	1) श्रीमती अल्का अग्रवाल पति मुकेश अग्रवाल (ऋणी) 2) श्री मुकेश अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल शाखा- UMFBI इंदौर	आईडीए स्कीम नंबर 47 इंदौर म.प्र. में प्लॉट नंबर 94 पर बनी बहुमंजिला भवन (गोल्डन टॉवर, सपना संगीता मेन रोड) की पहली मंजिल पर आवासीय फ्लैट नंबर 5 का संपूर्ण भाग, जिसका क्षेत्रफल 462 वर्ग फुट है। वर्तुसीमा (विक्रय विलेख के अनुसार): दक्षिण-पूर्व : बिल्डिंग का एमओएस, उत्तर-पश्चिम: बिल्डिंग का कॉमन फैसेज, उत्तर-पूर्व : बिल्डिंग का एमओएस, दक्षिण-पश्चिम: अन्य फ्लैट. चरुसीमा (लोकेशन के अनुसार): दक्षिण-पूर्व : ओटीएस/प्लॉट नंबर 101, उत्तर-पश्चिम: बिल्डिंग कॉरिडोर, उत्तर-पूर्व : ओटीएस/प्लॉट नंबर 93, दक्षिण-पश्चिम: फ्लैट नंबर 04 (भौतिक आधिपत्य)	शाखा बवन की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर 103, प्लॉट नंबर 101, सिद्धिपुरम कॉलोनी पर स्थित, ग्राम तेजपुर गवर्नरी, तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.), सुपर बिल्डअप एरिया 550 वर्ग फीट, वर्तुसीमाएँ:- पूर्व - प्लॉट नंबर 102, पश्चिम - सामान्य मार्ग एवं सीडी, उत्तर - प्लॉट नंबर 101, दक्षिण - फ्लैट नंबर 102 (सांकेतिक आधिपत्य)	Rs. 12,42,371.39 as on 15.09.2025	Rs. 30,65,000/- Rs. 3,06,500/- Rs. 30,650/-

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: नीलामी के अंतिम समय से पहले ईएमडी जमा कर ईएमडी राशि को संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप करना होगा। यह सूचित किया जाता है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए ईएमडी राशि को पहले ही जमा कर दें एवं संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप कर दें।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अवलोकित करें (www.unionbankofindia.bank.in) पर दिए गए लिंक "https://baanknet.com" का संदर्भ लें एवं सेवा प्रदाता पीएफसी एलएस की वेबसाइट (www.baanknet.com) पर जाएं रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल करें support.BAANKNET@psalliance.com उक्त तालिका में दिया गया सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इसके किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटि या भूल के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि की